

अपील संख्या 354 / 2018
अनवान
धर्मीचन्द बनाम उपखण्ड अधिकारी रोहट

दिनांक 29-7-2019

वकील रेस्पो0 उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता को वर्तमान अपील मे शेष रेस्पो0 के सम्मन पेश करने हेतु आदेशिका दिनांक 10-9-18 से लगातार हिदायत दी जाती रही है परंतु अपीलांट अधिवक्ता ने 6 पेशियां दी जाने के बाद भी पालना नहीं की है तथा अपीलांट अधिवक्ता गत पेशी एवं आज पेशी पर उपस्थित भी नहीं हुए है । ऐसे मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

बति • सम्मोगीय आमुक्त.
बोधपुर